

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर
पीठासीन अधिकारी

श्री महेन्द्र सोनी
आई.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मफताराम पुत्र गेनाजी, जाति पुरोहित, निवासी डुंगरी, हाल बडगांव तहसील रानीवाडा, जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा, जिला जालोर
प्रकरण संख्या अपील		42/2019
राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.09.2019 न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा धारा 9 आर.एल.आर. एक्ट, प्रकरण संख्या 13/2019 मफताराम बनाम सरकार		

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-

- 1-श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित अभिभापक अपीलान्ट
- 2-तहसीलदार रानीवाडा रेस्पोडेन्ट
- 3-श्री छोटूसिंह अभिभापक राज पैरोकार

निर्णय

दिनांक: 05.01.2020

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर याद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकॉर्ड तलब किया गया। अंगण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलगत भूमि के बारे में बडगांव के पूर्व जागीरदार मंगलसिंह पुत्र मालमसिंह राजपुत ने श्रीमान जागीर कमीश्नर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में नियमानुसार कृषि भूमि एवं आबादी भूमि को उसने अपनी निजी सम्पत्ति मानी थी उसका विस्तृत विवरण सूची में पेश किया था जिसके अनुसार सूची संख्या एक कृषि भूमि का इन्दाज किया जिसका नाम अपील में कोई विवाद नहीं है। सूची-बी - मकान आबादी भूमि अर्थात् का विवरण अंकित है इसमें क्रम संख्या 4 में अंकित भूमि ही आबादी भूमि है जिसके अनुसार चक्की वाला मकान व उसके आगे-पिछे पानी रकबा उगमण शामिल है। जागीर की कमीश्नर महोदय ने जालोर के डिप्टी कलेक्टर (जागीर) से करवाई गई उन्होंने याद जांच अपनी जांच रिपोर्ट पुनः जागीर कमीश्नर के न्यायालय में पेश की, उसमें सूची बी के क्रम संख्या 4 में भूमि के पडोस अंकित किये हैं उसी भूमि पर कोई उजमदारी प्राप्त नहीं होने पर पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति मानी है जिसका निर्णय आयुक्त (जागीर) महोदय ने दिनांक 19/01/1963 को किया, उस निर्णय के विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार ने अपील नहीं की है इसलिये वह निर्णय अंतिम हो चुका है। इस निर्णय की पालना में भूमिधारी स्वयं को रेकॉर्ड दुरस्ती कर खसरा नम्बर 791 में उगमण की बजाय गै.मु.आबादी दर्ज करनी चाहिये थी क्योंकि रेवेन्यू रेकॉर्ड को अपडेट रखने का प्रथम व पूर्ण दायित्व तहसीलदार का ही है। इसी जागीरदार में नियमानुसार पंजीकृत बैचान दस्तावेज के जरिये अपीलान्ट ने आबादी भूमि खरीद की है जिसका नियमानुसार पंजीयन भी भूमिधारी तत्कालीन तहसीलदार धनिमाल ने ही किया है वही तहसीलदार इसी भूमि को उगमण की मानकर बेहखली व जुमाने

का आदेश किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निम्न आधारों पर यह अपील पेश की जा रही है :- पटवारी हरका बडगांव की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरुद्ध प्रथम बार सन् 2068 में बडगांव के खसरा नम्बर 791 में से 71.49 वर्गमीटर पर नया अतिक्रमण मानते हुये प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा में दर्ज हुआ जिसे बाद जांच अपीलाधीन निर्णय के जर्गिये बेदखली व 50/- रुपये का जुर्माना लगाया है यह निर्णय उस पत्रावली में उपलब्ध ऑर्डर शीट दिनांक 26/03/2019 के निष्कर्ष के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष किया है कि कब्जाधारी जागीर कमीश्नर के निर्णय दिनांक 19/01/1963 में उल्लेखित भूमि पर ही काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण ड्राफ्ट योग्य बनता है। तहसीलदार रानीवाडा ने ही अपनी आदेशिका दिनांक 26/03/2019 में राजस्व कर्मचारियों तथा ग्राम पंचायत के कार्मिकों की संयुक्त टीम ने मकान जांच की, जागीर कमीश्नर का निर्णय, डिप्टी कमिश्नर जालोर (जागीर) का अवलोकन किया, निर्णय में सूची बी में मकानात व आबादी भूमि को मानते जांच की, इसके बाद टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25/03/2019 में अंकित तथ्यों के विपरित निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। भूमिधारी द्वारा पूर्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 14/02/2019 को मौका देखा, कमीश्नर के निर्णय की सूची बी में क्रम संख्या 4 पर चक्की के मकान व उसके आगे पिछे आबादी भूमि की मौके पर जांच की, उस वक्त चक्की व मकान पाये गये लिखा है, जागीरदार प्रस्तुत निजी सम्पत्ति की सूची 1958-59 में पेश की। जिसका निर्णय 1963 में हुआ है, उस समय चक्की व मकानात खुली जमीन मौजूद थी जिसके चारों तरफ पुरानी कानों की बाड थी जिस पर पूर्व जागीरदार का कब्जा था। अब चक्की व मकान नहीं मिले, किन्तु मौतबिगान ने चक्की व मकान वाला भूमि निशानदेही से बताया गई, उसका उल्लेख 14/02/2019 की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि खसरा नम्बर 791 जिसके चारों तरफ पुरानी बाड जागीरदार की थी उसमें अब दुकान आवासीय मकानात है जागीरदार की निजी भूमि के पटोंस बनये है वह भूमि खसरा नम्बर 791 की है। ऐसी स्थिति में भूमिधारी को अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट की कार्यवाही ड्राफ्ट करने की वनाय बेदखली व जुर्माना का आदेश दिया है, जो निरस्त योग्य है। पूर्व जागीरदार ने निजी सम्पत्ति की सूची बी के क्रम संख्या 4 में दर्ज भूमि के अन्दर कुल 12 भूखण्ड बनाये, जिसमें से अपीलान्ट ने 11 गुणा 40 दुकान व 10 फीट गहरा प्लस 20 फीट गोदाम कुल 11 गुणा 70 फीट जरिये रजिस्टर्ड बेचान को अधीन कर कब्जा प्राप्त किया था, पक्का निर्माण किया, विधुत, पानी, टेलीफोन कनेक्शन लिया। इसके बाद अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत से पट्टे भी प्राप्त किये, ग्राम पंचायत ने बाद जांच आबादी मानते हुये पट्टे जारी किये। तहसीलदार भूमिधारी ने बेचाननामा पंजीयन किया, उसने भी उसी भूमि का आबादी भूमि मानते हुये पंजीयन किया है इसलिए रूल ऑफ एस्टापल्लेंट के सिद्धान्त के आधार पर भूमिधारी आबादी भूमि की ओरण मानने से विवोधित है। इस सिद्धान्त के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। पूर्व में यह प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर तक चला था मण्डल के निर्णय दिनांक 31/08/2018 में इसी भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुये बेदखली व जुर्माने के आदेश निरस्त किये है इस आधार पर अपील स्वीकार योग्य है। अपीलाधीन निर्णय 11/09/2019 को दिया जाना वनाय जा रहा है जो गैर सायल व उनके अधिवक्ता की गैर हाजरी में दिया गया जो निर्णय से स्पष्ट है निर्णय में न तो अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है न गैर सायल की।

उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज है जबकि गैर सायल के अधिकता ने जवाब पेश किया, उसका भी निर्णय में हवाला नहीं दिया जवाब के साथ कुल 10 दस्तावेज पेश किये, उसका भी उल्लेख नहीं किया। यह निर्णय आदेश 20 सी. पी.सी के प्रावधानों के भी प्रतिकूल है। निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 23/09/2019 को हुई, उसी दिन नकल मांगी व उसी दिन मिली। उसके बाद अन्य नकले व राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त करने में समय लगा इस प्रकार तारीख जानकारी से यह अपील दिनांक 21/10/2019 की पेश की जा रही है जो अन्दर म्याद है सुविधा की दृष्टि से धारा 5 लिमिशन का प्राथम पत्र व शपथ पत्र अलग से पेश है जिसमें डिले कन्डोन हेतु पर्याप्त कारण बताया है डिले कन्डोन किया जाकर न्यायहित में अपील अन्दर पत्र श्रुमार दर्ज किये जाने योग्य है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 में प्रभावी में आया है इससे पूर्व सभी प्रकार की कृषि भूमि व आबादी भूमि उनके जागीर की थी जागीरदार खुद काश्त की भूमि ओरण के लिये छोड़ सकते थे तथा ओरण के लिये छोड़ी गई भूमि पर आबादी भी बसा सकते थे तथा कृषि उपयोग में ले सकते थे क्योंकि जागीरदार सक्षम थे जब प्रथम सेटलमेन्ट का पैमाइश कार्य आरम्भ हुआ तब अपीलग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी सम्पत्ति थी जिसके पडौस में ओरण भूमि रही होगी, इसलिये यह भी रिकॉर्ड में ओरण दर्ज हो गई जो मानवीय भुल है जबकि हकीकत में पूर्व जागीरदार की निजी सम्पत्ति ही थी जब जागीर कमीश्नर राज. जयपुर के न्यायालय में यह प्रकरण चला उस सम्पूर्ण कार्यवाही राजकीय पैरोकार भूमिधारी की तरफ स्थित रहे है उन्होने कोई उजरदारी नहीं की तथा निर्णय के बाद अपील भी नहीं की ऐसी स्थिति में अब केवल रिकॉर्ड में गलत रूप से ओरण दर्ज होने से 60 साल के पुराने कब्जे को बेदखल कर जूमना कर वसूल का आदेश दिया जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेटलमेन्ट ऑथोरिटी ने गांव के ओरण के रकबे में गत के मुकाबले वृद्धि की है जिसमें भी साबित है कि आबादी भूमि को ओरण में गैर कानूनी तरीके से सम्मिलित की गई है। पूर्व के खसरा नम्बर 622 के वर्तमान खसरा नम्बर 791 ग्राम बडगांव की मुख्य आबादी में स्थित है मौके पर ओरण नहीं है इस आधार पर भी अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील इस न्यायालय के क्षेत्रधिकार की है। इसलिए उक्त अपील सुनने का क्षेत्रधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अर्थात् पर नियमानुसार कोर्ट फीस पेश है हमने इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय में हमने कोई कार्यवाही नहीं की है

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहसीलदार रानीवाडा का अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर भविष्य में अविवाद के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर एक्ट का प्रकरण नहीं बनने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को निर्देश दिलाया जावे।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील अपीलांत द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से दोराहते हुये कथन किया गया है कि पटवारा हल्का बडगांव द्वारा गैर सायल मफताराम के विरुद्ध मौजा बडगांव के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्ग मीटर किस्म गैर भूमिकिन ओरण पर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा के न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवाई जिसके मुकदमा नंबर 22/2012 है। इस प्रकरण में दिनांक 29.03.2012 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी पर से गैर सायल को बेदखल करने का आदेश पूर्व वर्तमान जूमना 50/-रूपये से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध गैर सायल द्वारा जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील पेश की गई। अपील संख्या

45/2012 मफताराम बनाम सरकार में दिनांक 18.07.2012 का अपील/आदेश ही अपील अस्वीकार हुई। आदेश दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर (राजस्थान) के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या 25/2012 मफताराम बनाम सरकार में दिनांक 10.12.2014 को अपील खारिज हुई। इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निगरानी/एल.आर/1463/2015/जालोर मफताराम बनाम सरकार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर करवायी गई। निगरानी निर्णय दिनांक 31.08.2018 में निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिन्ना कलक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा का इम निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथन एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करे।

उपरोक्तानुसार राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनः सुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.07.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी मफताराम पुत्र गेनाजी जाति पुरोहित साकिन डूंगरी द्वारा अवैध रूप में गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दोषी पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अक्षरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। विचाराधीन अपील प्रकरण संख्या 13/2019 सरकार बनाम मफताराम में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध निम्नांकित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बडगांव के एक भाग क्षेत्र 791 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन ओरण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि बडगांव जागीर का गांव रहा तथा जागीर Resumption Act 1952 में लागू हुआ है। बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर, राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एवं बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आबादी भूमि का है। इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अतिक्रमण भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। उप जिन्नाधीन (जागीर) जालोर द्वारा मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.1962 में क्रम संख्या 4 पर चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी जमीन है को आबादी में होना बताया है। इस जांच रिपोर्ट अनुसार जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुये उसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि मानी है। इस निर्णय दिनांक 19.01.1963 के विरुद्ध आज तक सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि आबादी होने से जरिये रजिस्टर्ड बेचान रस्तावेज के अपीलांट को बेची गई है। भूमि आबादी में स्थित होने से राम रंजित बडगांव द्वारा पट्टा जारी किया गया है। तथा पानी बिजली के कनेक्शन भी नियंत्रित हुये है। अपीलार्थी विधिसम्मत वादग्रस्त आराजी पर अक्रिय है। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जारी किया गया धारा 91 का नोटिस भी Bad in law है क्योंकि धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना किसी मंगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा

है तो उसे अतिक्रमणकारी समझा जायेगा जबकि इस प्रकरण में अपीलान्त अतिक्रमणकारी नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी.2006(1)पृष्ठ संख्या 272 में वर्णित निर्णय दिनांक 02.12.2005 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये बताया की इस प्रकरण में धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट लागू नहीं होता है।क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व NOC जारी की है।तथा भू खण्ड रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदसुदा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को धारा 140 इन्द्राजो के लिये उपधारणा - अधिकार अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राजो के सही होने की उप-धारणा की जायेगी जब तक वा विपरीत सिद्ध न कर दिया जाये।इसी के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि दस्तावेजो के आधार पर आबादी भूमि सिद्ध है। ओरण नहीं है इसे अपीलान्त साबित करने में सफल रहा है।क्योंकि प्रकरण संख्या 13/2019 सरकार बनाम मफताराम की आदेशिका दिनांक 26.03.2019 अनुसार तहसीलदार ने माना है कि यह जमीन बही है जो जागीर कमिश्नर के निर्णय में वर्णित है।जागीर कमिश्नर के निर्णय की पाठना में भूमिधारी तहसीलदार को राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिये था जो नहीं किया जाने से वादग्रस्त आराजी गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है।जबकि मौका स्थिति अनुसार आबादी भूमि है। अतःअपीलान्त की अपील स्वीकार फरमावे।

रेस्पोंडेन्ट भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अपीलान्त को नायब तहसीलदार कोर्ट से बेदखली अधिनियम 1975 के तहत नोटिस जारी हुआ क्योंकि अपीलान्त द्वारा गैर मुमकिन ओरण किसम की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पत्रित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि वास्तु खसरा नंबर दर्ज नहीं है।केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है।आगे पिछे जमीन कितनी है यह कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।चवास्तु खसरा नंबर 791 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुआ है।जिसे पूर्व से ही किसम गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिवधत भूमि होने से आवंटन अथवा नियमन भी नहीं किया जा सकता है।रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज के आधार पर भी वादग्रस्त भूमि को गैर मुमकिन आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है।तथा किसम गैर मुमकिन ओरण की भूमि पर पट्टा जारी करने की शक्तिया ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है।पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भूमि पूर्व से ही गैर मुमकिन ओरण होने से दिनांक 11.09.2019 को बेदखली व जुर्माना के आदेश दिये गये है।अतःअपीलान्त अपील को खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस के विस्तार पर मनन भी किया गया जिसके अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवाडा के खसरा नंबर 791 रकबा 71.49 वर्गमीटर किसम गैर मुमकिन ओरण पर संवत् 2068 में श्री मफताराम पुत्र गेनाजी जाति पुरोहित निवासी डूंरी द्वारा नाजायब रकबा करने पर पटवारी हल्का बडगांव द्वारा दिनांक 20.03.2012 को रिपोर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार रानीवाडा को प्रस्तुत की गई।नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को मुकदमा नंबर 22/2012 सरकार बनाम मफताराम दर्ज कर गैर सायल मफताराम को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया।गणेश तारीख 29.03.2012 को गैर सायल द्वारा जवाब पेश करने पर बाद सुनवाई के दिनांक 29.03.2012 को नायब तहसीलदार रानीवाडा द्वारा निर्णय पत्रित कर गैर मुमकिन को धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर मौके पर बेरमान करने का आदेश व बतौर जुर्माना 50/-रूपये में दंडित किया गया दिनांक 29.03.2012

29.03.2012 के विरुद्ध जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 45/2012 मफताराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 18.07.2012 को अपीलांट की अपील अस्वीकार हुई। निर्णय दिनांक 18.07.2012 के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी पाली कैम्प जालोर के न्यायालय में अपील संख्या 25/2012 मफताराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 10.12.2014 को अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज हुई तथा अपीलार्थन निर्णय बहल रखा गया। निर्णय दिनांक 10.12.2014 के विरुद्ध राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में निगरानी/एल.आर./1463/2015/जालोर मफताराम बनाम सरकार दर्ज होने पर दिनांक 31.08.2018 को निर्णय पारित हुआ कि निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर के निर्णय दिनांक 10.12.2014, जिला कलेक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 18.07.2012 एवं नायब तहसीलदार रानीवाडा के निर्णय दिनांक 29.03.2012 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के माध प्रति प्रेषित किया गया कि बहस कथनो एवं विवेचन के आलोक में जांच/परीक्षण कर प्रकरण में उभय पक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विवेचन के आलोक में पुनःनियमानुसार निर्णय पारित करे। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करने पर पुनःसुनवाई करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2019 को दर्ज किया जाकर दिनांक 11.09.2019 को निर्णय पारित किया कि प्रार्थी मफताराम पुत्र मोनाजी जाति पुरोहित साकिन डूंगरी द्वारा अवैध रूप से गैर मुमकिन ओरण कर्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रार्थी को धारा 91 के तहत अतिक्रमणी घोषित किया जाकर मौके से बेदखल करने का आदेश किया जाता है। प्रार्थी दांपती पाया जाने से बतौर जुर्माना लगान दर 1/-रूपये का पचास गुणा 50/-अधरे पचस रूपये मात्र किया जाता है। जो वसूल हो। विचाराधीन अपील न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के मुकदमा संख्या 13/2019 सरकार बनाम मफताराम में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलांट की ओर से जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.1963 की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुये कथन किया है कि बडगांव के जागीरदार द्वारा जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर के न्यायालय में दिनांक 17.11.1959 को अपनी निजी सम्पत्ति की सूची ए एंड बी पेश की जिसमें ए भाग कृषि भूमि का तथा बी भाग आवादी भूमि का है इस प्रकरण में विवादित भूमि सूची के बी भाग में क्रम संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन है। को आवादी में होना बताया है। निर्णय दिनांक 19.01.1963 में प्रार्थना पत्र मंजूर करने हुये इसमें दर्ज भूमि को जागीरदार की निजी भूमि माना है। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। वादग्रस्त भूमि जागीरदार की निजी भूमि होने से जरिये बैचान दस्तावेज के अपीलांट द्वारा खरीदना तथा ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का पट्टा जारी करना एवं ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.पी. जारी करना भी अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। जबकि रेस्पॉडेन्ट द्वारा कथन किया गया है कि जागीर कमिश्नर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.1963 में वादग्रस्त भूमि बाबत खसरा नंबर दर्ज नहीं है। केवल मात्र चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाडी खुली जमीन लिखा हुआ है। आगे पिछे जमीन कितनी है यह भी लिखा हुआ नहीं है। विवादित खसरा नंबर 591 पुराने खसरा नंबर 622 से सृजित हुये है। जिसका पूर्व से ही क्रम गैर मुमकिन ओरण राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि होने से आवंटन एवं नियमन कारिस्त नहीं

है। अपीलान्त द्वारा वादग्रस्त भूमि का जागीरदार की निजी सम्पत्ति एवं भूमि आबादी की होने के तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जागीर कमिश्नर के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि होती तो अवश्य ही राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती किया जाता जबकि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेन्ट से ही राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन आरण बदस्तू दर्ज चली आ रही है जो जमाबन्दी में दर्ज पुराने खसरा नंबर 622 एवं वर्तमान खसरा नंबर 791 से साबित हो रहा है। विचाराधीन अपील पत्रावली पर ऐसा कोई रस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को गैर मुमकिन आरण स्वीकार किये जाने से इन्कार किया जा सके। हालांकि जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 में सूची के बी भाग में क्र. संख्या 4 पर अंकित भूमि चक्की का मकान जिसके सामने व पिछाड़ी खुले जमीन है। यह अवश्य वर्णित किया हुआ है लेकिन खसरा नंबर 791 किस्म गैर मुमकिन आरण की भूमि ही चक्की का मकान वाला भू भाग रह हो और उसे आबादी की भूमि में शामिल रखा गया हो ऐसा कोई राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से जागीर कमिश्नर के निर्णय दिनांक 19.01.1963 अनुसार अपीलान्त वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन आरण को गैर मुमकिन आबादी में घोषित कर रेकॉर्ड में दुरुस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार मौजा बडगांव तहसील रानीवडा के खसरा नंबर 791 की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट से ही गैर मुमकिन आरण किस्म की राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जब तक किस्म गैर मुमकिन आरण में किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज नहीं हो जाती है। तब तक अपीलान्त किसी भी प्रकार का अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तहसीलदार रानीवडा द्वारा मुकदमा संख्या 13/2019 सरकार बनाम मफताराम में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2019 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने योग्य नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फौमल शुमार हांकर बन्सर से बम हो।

59-

(महेश सनी)

जिला कलेक्टर, जालौर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखवाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया।

59-

(महेश सनी)

जिला कलेक्टर, जालौर